डिजिटल संबोधनीय केबल टीवी प्रणालियों के कार्यान्वयन संबंधी कार्यबल की अपर सचिव, सूचना और प्रसारण की अध्यक्षता में 22.07.2011 को हुई पहली बैठक का कार्यवृत्त

डिजिटल संबोधनीय केबल टीवी प्रणालियों के कार्यान्वयन संबंधी कार्यबल की पहली बैठक श्री राजीव टकरु, अपर सचिव, सूचना और प्रसारण की अध्यक्षता में 22.07.2011 को समिति कक्ष, शास्त्री भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक में भाग लेने वालों की सूची **अनुलग्नक** में दी गई है।

2. अध्यक्ष ने अपने उदघाटन भाषण में कार्यबल के सदस्यों का स्वागत किया तथा केबल क्षेत्र के डिजिटलाइजेशन के संबंध में मंत्रालय के परिप्रेक्ष्य का संक्षेप में उल्लेख किया। उन्होंने मंत्रालय द्वारा निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर केबल क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन के संबंध में आगे बढ़ने के विषय में सदस्यों से अपने दृष्टिकोण साझा करने का अनुरोध किया। विचार-विमर्श प्रारंभ करने से पहले सदस्यों ने डिजिटलाइजेशन के संबंध में मंत्रालय के प्रस्ताव की स्थिति तथा डिजिटल संबोधनीय प्रणाली (डी ए एस) संबंधी अधिसूचना के जारी होने की संभावित तारीख के विषय में जानने की इच्छा व्यक्त की। श्री अरविंद कुमार, संयुक्त सचिव (प्रसारण) ने एक विस्तृत समय-सीमा की रूपरेखा प्रस्तुत की जिसके भीतर डी ए एस के कार्यान्वयन के लिए मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता था। उन्होंने कहा कि अंतर-मंत्रालयी टिप्पणियों के लिए डिजिटलाइजेशन के संबंध में मंत्रिमंडल टिप्पण पहले ही परिचालित किया जा चुका है तथा मंत्रालय शीघ्र ही अंतर-मंत्रालयी परामर्शों संबंधी कार्य पूरा कर लेगा। इसके पश्चात संसद में प्रस्तुत किए जाने के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2011 संबंधी प्रस्ताव को मंत्रिमंडल के अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। संयुक्त सचिव (प्रसारण) ने केबल क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन का कार्य करने में विभिन्न हिस्साधारकों द्वारा किए जाने वाले तैयारी संबंधी क्रियाकलापों का वर्णन किया। उन्होंने उल्लेख किया कि डिजिटलाइजेशन की सफलता में डिजिटलाइजेशन के प्रचार का अत्यधिक महत्व है। उन्होंने डिजिटलाइजेशन संबंधी रोडमैप और डिजिटलाइजेशन के लाभों के विषय में एम एस ओ/केबल ऑपरेटरों और ग्राहकों को सुग्राही बनाने के लिए महानगरों के नोडल अधिकारियों से उनके स्तर पर समिति गठित करने का अनुरोध किया। उन्होंने सदस्यों को यह जानकारी भी दी कि डिजिटलाइजेशन संबंधी प्रचार के लिए मंत्रालय का विचार 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कुछ बजटीय प्रावधान करने का है।

3. संयुक्त सचिव (प्रसारण) ने सदस्यों को बताया कि सी ओ एफ आई और एम एस ओ गठबंधन के कुछ सदस्यों ने डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए एक अंतिम उपाय के रूप में

महानगरों के अन्य भागों में सी ए स के विस्तार के लिए मंत्रालय को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। उन्होंने इस प्रस्ताव पर सदस्यों के विचार मांगे क्योंकि जब मंत्रालय ने इस उद्योग के संगठनों के साथ इस प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया था तब उनके बीच इस प्रस्ताव पर विभिन्न दृष्टिकोण थे। इसके पश्चात इस मंच को सी ए एस का विस्तार करने संबंधी व्यवहार्यता तथा डिजिटलाइजेशन संबंधी अन्य संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए खुला रखा गया था।

4. श्री ए. मोहन, आई बी एफ ने कहा कि पूर्ण डिजिटलाइजेशन प्रसारणकर्ताओं की मांग रही है और इसलिए आई बी एफ, सी ए एस का विस्तार करने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि एक अंतरिम उपाय के रूप में सी ए एस को प्रारंभ किए जाने से उद्योग में और भ्रम पैदा होगा तथा यह कि आई बी एफ डिजिटलाइजेशन को किस्तों में लागू किए जाने के किसी भी दृष्टिकोण से सहमत नहीं है। इसके अतिरिक्त, सी ए एस का विस्तार किया जाना डी ए एस के कार्यान्वयन के संबंध में सरकार के गंभीर दृष्टिकोण का परिचायक नहीं होगा। उन्होंने आगे यह भी कहा कि यदि समय-सीमा को कुछ माह की अवधि के लिए बढ़ा भी दिया जाता है तब भी उद्योग डी ए एस का ही चयन करेगा। संबोधनीय प्रणाली के संबंध में ट्राई के नवीनतम प्रशुल्क आदेश का हवाला देते हुए उन्होंने उल्लेख किया कि उक्त आदेश का इसके वर्तमान स्वरूप में डिजिटल संबोधनीय केबल क्षेत्र में अनुप्रयोग कुछ विसंगतियों का कारक बनेगा तथा केबल अधिनियम की धारा 4ए के अंतर्गत प्रस्तावित सुधारों के संबंध में विरोधाभासी होगा। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान डी ए एस प्रशुल्क आदेश में आधारभूत सेवा स्तर और अपने मूल्य निर्धारण का प्रावधान स्वरूपत: शामिल नहीं है जबकि डी ए एस अधिसूचित क्षेत्रों में आधारभूत सेवा स्तर (बी एस टी) रखने का प्रस्ताव है। ट्राई के पास आधारभूत सेवा स्तर बनाने वाले चैनलों के पैकेज में शामिल किए जाने वाले नि:शुल्क (एफ टी ए, फ्री टु एयर) चैनलों की संख्या विनिर्दिष्ट करने तथा बी एस टी सुविधा प्राप्त करने के एवज़ में केबल ऑपरेटर द्वारा ग्राहक से मांगी जा सकने वाली अधिकतम राशि का निर्धारण करने की शक्ति होगी। जब तक इन विसंगतियों को सुधारा नहीं जाता तब तक डिजिटल संबोधनीय केबल टीवी प्रणालियों में संबोधनीय प्रणालियों संबंधी प्रशुल्क आदेश का अनुप्रयोग व्यवहार्य नहीं होगा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए ट्राई द्वारा सिफारिश किए गए वित्तीय प्रोत्साहनों को और अधिक जोरदार ढंग से वित्त मंत्रालय के साथ उठाया जाना होगा क्योंकि इनसे डी ए एस का सुचारू कार्यान्वयन संभव हो सकेगा। उन्होंने इस बात की ओर भी इशारा किया कि केबल क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन से भारत में ब्रॉड बैंड का प्रचार-प्रसार होगा।

5. श्री अशोक मनसुखानी, आई एन केबल, अध्यक्ष, एम एस ओ गठबंधन ने सी ए एस विस्तार का समर्थन करते हुए कहा कि उद्योग सी ए एस के लाभों से परिचित है और इस प्रकार का कोई भी प्रयास पूर्ण डिजिटलाइजेशन की दिशा में अग्रदूत का कार्य करेगा। संबोधनीय प्रणालियों संबंधी प्रशुल्क आदेश पर श्री ए. मोहन के समान दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए उन्होंने इस बात पर बल दिया कि डी ए एस संबंधी अधिसूचना जारी किए जाने से पहले ट्राई द्वारा प्रशुल्क संबंधी इन मुद्दों का समाधान कर लिया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि ट्राई को प्रशुल्क संबंधी मुद्दों के अतिरिक्त ट्राई को प्रसारणकर्ताओं, एम एस ओ ओर एल सी ओ के बीच राजस्व के बंटवारे; संदर्भ अंतर्संम्पर्क करार, एम एस ओ तथा केबल आपरेटरों द्वारा देखी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता जैसे केबल टीवी से जुड़े अन्य विनियामक पहलुओं की भी समीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि डिजिटल संबोधनीय केबल प्रणाली के संबंध में राजस्व के बंटवारे के लिए एक सुनिर्धारित विनियम होने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि ट्राई को इस संबंध में भी हिस्साधारकों से परामर्श करना चाहिए कि क्या डी ए एस क्षेत्रों में चैनलों के फुटकर मूल्य विनिर्दिष्ट करने की कोई आवश्यकता है। उनका यह भी विचार था कि इस उद्योग को ट्राई द्वारा सिफारिश किए गए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाने तक मंत्रालय द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अनुसार डिजिटलाइजेशन का कार्य संभव नहीं होगा क्योंकि डिजिटल परिवर्तन की लागत का पूरा भार केवल एम एस ओ को ही वहन करना होगा।

6. लेफ्टिनेंट कर्नल (सेवानिवृत्त) वी सी खरे, बेसिल ने डिजिटल परिवर्तन के संबंध में केबल आपरेटरों को प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि बेसिल इस प्रयोजन के लिए प्रशिक्षण माड्यूलों को विकसित करने की प्रक्रिया में लगी हुई है। संयुक्त सचिव (प्रसारण) ने बेसिल से इन ब्यौरों को उद्योग के संगठनों के साथ साझा करने और माड्यूलों को अंतिम रूप देने से पहले उद्योग को भी इस कार्य में शामिल करने का अनुरोध किया। कार्यबल के अध्यक्ष ने उल्लेख किया कि बेसिल का कार्यक्रम केवल प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण तक ही सीमित होना चाहिए तथा यह भी कि डिजिटलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के प्रशिक्षण माड्यूल की भारी मांग होगी। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस कार्यक्रम को व्यापक आधार वाला होना चाहिए।

7. प्रसारण क्षेत्र पर छाए हुए कराधान संबंधी मुद्दों को उठाते हुए श्री राजीव खट्टर, डी टी एच संघ ने करों के वर्तमान स्तर का हवाला दिया जोकि 30 प्रतिशत के आस पास है और उल्लेख किया कि जी एस टी के शुरू होने से यह स्तर 45 प्रतिशत तक हो जाएगा जिससे कि केबल आपरेटरों के लिए

व्यवसाय करना अव्यवहार्य हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कर संबंधी इन संरचनाओं को युक्तिकृत करने की आवश्यकता है। उन्होंने उल्लेख किया कि डिजिटलाइजेशन से और राजस्व प्राप्त होगा क्योंकि ग्राहकों की संख्या के दृष्टिकोण से उदघोषणा का स्तर बढ़ जाएगा जिससे कि और अधिक राजस्व प्राप्त होगा जिसके परिणामस्वरूप सरकार को अधिक कारपोरेट कर और सेवा कर देना पड़ेगा। इस प्रकार बढ़े हुए डिजिटल प्रसार से प्राप्त होने वाले राजस्व के आधारभूत सीमा शुल्क ड्यूटी में कमी से होने वाले राजस्व की हानि से कहीं अधिक होने की संभावना है।

8. सी ई ए एम ए के श्री अंकन बिस्वास ने सदस्यों को एस टी बी विनिर्माण के क्षेत्र की देशी क्षमता जो कि लगभग 17 मिलियन है, की जानकारी देते हुए उल्लेख किया कि घरेलू विनिर्माताओं में डिजिटलाइजेशन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एस टी बी उत्पादित करने संबंधी अपेक्षित क्षमता है। उनका यह विचार था कि एस टी बी पर विद्यमान ड्यूटी जारी रखी जानी चाहिए ताकि विनिर्माण संबंधी घरेलू क्षमताओं को बढ़ावा प्राप्त हो।

9. श्रीमती रूप शर्मा, सी ओ एफ आई ने सी ए एस के विस्तार संबंधी प्रस्ताव का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सी ए एस को बढ़ाने से ग्राहकों के पास एनालॉग और डिजिटल ट्रांसमिशन दोनों का ही विकल्प होगा जिससे कि ग्राहक और आपरेटर दोनों को ही इस परिवर्तन के लिए तैयार होने का अवसर मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि केवल उद्योग के लिए एक सुनिर्धारित राजस्व बंटवारा विकसित किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि बाजार की शक्ति द्वारा राजस्व के निर्धारण की संकल्पना व्यवसाय संबंधी उनके मॉडल के प्रति उत्प्रेरक नहीं है।

10. श्री जयारामन, हैथवे ने कहा कि सी ए एस विस्तार से डी ए एस के त्वरित कार्यान्वयन की प्रक्रिया में बाधा आएगी। उनका विचार था कि मंत्रालय को डी ए एस प्रारंभ करने की दिशा में आगे कार्रवाई करनी चाहिए।

11. सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि ने उल्लेख किया कि अगले तीन वर्ष के लिए ड्यूटी की अधिमानी दरें जारी रखी जानी चाहिए तथा डी आई टी ने एस टी बी के स्वदेशी विनिर्माताओं के लिए 30 प्रतिशत सुनिश्चित बाजार तक अधिमानी पहुंच रखने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि एस टी बी संबंधी घरेलू निर्माण क्षमता को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है।

12. श्री विवेक गर्ग, एसोचैम ने उल्लेख किया कि देश में एस टी बी का विनिर्माण किया जाना पूरी तरह से व्यवहार्य विकल्प था और यह कहा कि एस टी बी के विनिर्माण से संबंधित क्षमता संबंधी कोई भी मुद्दे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि एस टी बी की अंतरप्रचालनीयता एक अव्यवहार्य संकल्पना है और इसे प्राप्त करना कठिन है।

13. श्री एन. परमेश्वरन, प्रधान सलाहकार (बी एंड सी एस), ट्राई ने डी ए एस के प्रशुल्क आदेश की स्थिति और मंशा स्पष्ट की। तथापि, उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया कि जिन मुद्दों पर इस बैठक में विचार-विमर्श किया गया है वे उन मुद्दों को प्राधिकरण के सामने उठाएंगे।

14. विचार-विमर्श के पश्चात, कार्यबल ने टिप्पणी की कि सी ए एस को बड़े शहरों के अन्य भागों में विस्तारित करने संबंधी प्रस्ताव पर सदस्यों के बीच कोई मतैक्य नहीं हो पाया और प्रसारणकर्ता संगठनों अर्थात आई बी एफ और एन बी ए ने इस प्रस्ताव का जोरदार ढंग से विरोध किया। यह भी नोट किया गया कि राष्ट्रीय स्तर के एम एस ओ के बीच इस प्रस्ताव पर विभिन्न दृष्टिकोण थे, जहां एक ओर आई एन केबल और डिजी केबल ने अंतरिम रूप से सी ए एस प्रस्ताव का समर्थन किया वहीं दूसरी ओर स्टार डी ई एन और हैथवे ने डी ए एस के कार्यान्वयन का पक्ष लिया। कार्यबल के कुछ सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रशुल्क और विनियामक मुद्दों के संबंध में एक आम राय उभरकर सामने आई कि मार्च, 2012 में बड़े शहरों में डी ए एस के लागू होने से पहले ट्राई से शीघ्रातिशीघ्र इन मुद्दों की जांच करने का अनुरोध किया जाए। सदस्यों का यह विचार था कि इस बैठक में किए गए विचार-विमर्शों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय इस मामले को ट्राई के साथ उठाए।

15. विचार-विमर्श को समाप्त करते हुए संयुक्त सचिव (प्रसारण) ने कहा कि प्रसारण का क्षेत्र एक ऐसा गत्यात्मक क्षेत्र है जिसमें कि मुद्दों का समय-समय पर सामने आना अपरिहार्य है। उन्होंने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया और सभी सदस्यों से एनालॉग युग से नये डिजिटल युग में इस प्रकार के परिवर्तन के लिए केबल आपरेटरों/ ग्राहकों को तैयार करने के वास्ते अपेक्षित तैयारियां करने और प्रचार संबंधी उपाय शुरू करने के लिए एम एस ओ और केबल आपरेटरों के साथ बैठकें आयोजित करने का आह्वान किया।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

XXX

अनुलग्नक

भाग लेने वालों की सूची

1. अरविंद कुमार, संयुक्त सचिव (प्रसारण)
2. परमेश्वरन एन., प्रधान सलाहकार (बी एंड सी एस), ट्राई
3. श्री वसी अहमद, सलाहकार (बी एंड सी एस), ट्राई
4. श्री अमित शर्मा, उप-सलाहकार (बी एंड सी एस), ट्राई
5. श्री बी. एम. बावेजा, सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग
6. राजेश सूरी, सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग
7. श्री के. एस. रेजिमॉन, उप-सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय
8. श्री नविल कपूर, अवर सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय
9. लेफ्टिनेंट कर्नल (सेवानिवृत्त) वी. सी. खरे, बेसिल
10. श्री वाई के शर्मा, बेसिल
11. श्री एम. जयारामन, आई ए एस, अरसान केबल टीवी कारपोरेशन लिमिटेड
12. श्री सतेन्द्र कुमार, मनोरंजन और सुविधा कर उत्पाद शुल्क
13. श्री संजय शाया, उत्पाद शुल्क
14. श्री विनय वसंत गाडगिल, मुंबई पुलिस, पुलिस उपायुक्त (प्रवर्तन)
15. श्री अजय शर्मा, एसोचैम
16. श्री हिमावत चौधरी, फिक्की
17. सुश्री लीना जैसानी, फिक्की
18. श्री अशोक मनसुखानी, एम एस ओ गठबंधन
19. श्रीमती रूप शर्मा, सी ओ एफ आई

20. श्री अंकन बिस्वास, सी ई ए एम ए

21. श्री बरुन दास, एन बी ए

22. श्री दीपक जैकब, आई बी एफ

23. श्री राजीव खट्टर, डी टी एच संघ

24. श्री अनिल कुमार मल्होत्रा, डिजी केबल

25. श्री के. जयारामन, हैथवे

26. श्री अतहर अब्बास, कैटविजन

27. श्री ए. मोहन, आई बी एफ

28. श्री विवेक गर्ग, वीडियोकॉन, एसोचैम

29. श्री एस. के. सिंह, वीडियोकॉन, एसोचैम

केबल टेलीविजन नेटवर्क्स के डिजिटलाइजेशन संबंधी कार्यबल की 29.12.2011 को आयोजित दूसरी बैठक का कार्यवृत्त

केबल टेलीविजन नेटवर्क्स के डिजिटल परिवर्तन संबंधी कार्यबल की दूसरी बैठक अपर सचिव, सूचना और प्रसारण की अध्यक्षता में 29.12.2011 को आयोजित की गई। इसमें भाग लेने वालों की सूची संलग्न है।

2. यह बैठक उस विधेयक की पृष्ठभूमि में आयोजित की गई थी जिसमें कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित केबल अधिनियम में डिजिटल परिवर्तन को सुकर बनाने के लिए संशोधन करने तथा एनालॉग केबल नेटवर्क की समाप्ति की तारीख और डिजिटल केबल नेटवर्क के प्रारंभ की तारीख निर्धारित करते हुए 11.11.2011 को जारी अधिसूचना में संशोधन की मांग की गई थी।

3. अपर सचिव द्वारा स्वागत भाषण दिए जाने के पश्चात संयुक्त सचिव (प्रसारण) ने मंत्रालय द्वारा पहले ही पूरे किए जा चुके कार्यों और तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता वाले मुद्दों को कवर करते हुए एक प्रस्तुतीकरण दिया ताकि डिजिटलाइजेशन के समयबद्ध कार्य को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जा सके। ध्यान दिए जाने की अपेक्षा वाले निम्नलिखित पांच प्रमुख क्षेत्रों का एक संक्षिप्त पूर्वावलोकन प्रस्तुत किया गया :-

(i) क्षेत्र के लिए वित्तीय प्रोत्साहन, जिसके लिए सी ओ एस बैठक 13 जनवरी, 2012 को आयोजित की जानी निर्धारित है।

(ii) प्रभावी जन जागरूकता अभियान (दूरदर्शन सहित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों में, जिसके लिए एक संदेश/श्रव्य दृश्य क्लिप शीघ्र ही तैयार किए जाने की आवश्यकता होगी)।

(iii) प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण (बेसिल ने प्रशिक्षण कार्यक्रम पहले ही प्रारंभ कर दिया है)। हिस्साधारकों द्वारा प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकता का तत्काल आकलन करना है और बेसिल के कार्य में सहायता करनी है।

(iv) सुचारू परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए सेट टॉप बॉक्सों (एस टी बी) की उपलब्धता। पहले फेज के मामले में चार मेट्रो शहरों में लगभग 1 करोड़ एस टी बी की आवश्यकता होगी। विनिर्माण संबंधी स्वदेशी क्षमता और आयात की आवश्यकता संबंधी मुद्दों पर शीघ्र ही निर्णय कर लिया जाना है।

(v) प्रशुल्क, राजस्व बंटवारे और प्रसारणकर्ताओं, एम एस ओ और केबल आपरेटरों के बीच अंतर-संपर्क करार। ट्राई द्वारा तैयार किए गए परामर्श पत्रों पर हिस्साधारकों के दृष्टिकोण तत्काल दिए जाने हैं।

3. प्रस्तुतीकरण में यह बात सामने लाई गई कि मंत्रालय का शीघ्र ही निम्नलिखित प्रयास करने का प्रस्ताव है :-

- पहले फेज में शामिल चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखा जाएगा।
- राज्य मशीनरी को सुग्राही बनाने और इस मुद्दे का प्रचार करने के दृष्टिकोण से राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की जानी हैं।
- प्रशिक्षण, जन जागरूकता अभियान और एस टी बी की उपलब्धता की दिशा में की गई प्रगति की समीक्षा करने के लिए कार्यबल की बैठकें जल्दी-जल्दी आयोजित की जाएंगी।

4. प्रस्तुतीकरण के पश्चात प्रसारणकर्ताओं के प्रतिनिधियों, एम एस ओ गठबंधन, अलग-अलग एम एस ओ और केबल आपरेटरों ने अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। जहां तक भारतीय प्रसारण न्यास द्वारा प्रतिनिधित्व किए जा रहे प्रसारणकर्ताओं के दृष्टिकोण का संबंध है, यह निम्नानुसार व्यक्त किया गया :-

- योजना बनाए गए प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए एक निश्चित समय-सीमा निर्धारित करना ताकि परिवर्तन आसानी से हो और अंतिम क्षणों में किसी जटिलता का सामना न करना पड़े।
- चूंकि इस कार्य में भारी संख्या में एस टी बी खरीदे जाने की योजना है जिसमें कि आयात शामिल होगा इसलिए निवेश संबंधी व्यावसायिक निर्णय सीमा-शुल्क से छूट संबंधी स्पष्टता पर निर्भर करता है। इस मुद्दे पर ध्यान दिया जाना चाहिए और इस संबंध में किसी भी अनिश्चितता को दूर करने के लिए तत्काल निर्णय लिया जाना चाहिए।
- प्रशुल्क, केबल नियम और आपरेटरों के पंजीकरण संबंधी मुद्दों पर अत्यधिक तीव्रता के साथ ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। चूंकि पहले फेज के लिए 6 महीने का समय बचा है, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि नियमों को उस सीमा तक विलंबित किया जाए कि 01.07.2011 की अंतिम तारीख अव्यवहार्य हो जाए।
- प्रगति का जायजा लेने के लिए कार्यबल की बैठक 15 दिनों पर आयोजित की जानी चाहिए ताकि सुधार करने में समय समाप्त न हो।

- डी ए एस कार्यान्वयन के अनुवर्ती चरणों में दूरसंचार के लिए पहले से ही तैयार ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क तथा बी एस एन एल, एम टी एन एल द्वारा आई एस पी जैसी अवसंरचना को पट्टे पर देने/साझा करने पर विचार करना वांछनीय होगा ताकि अवसंरचना सृजन के संबंध में दोहराव से बचा जा सके।

5. एम एस ओ गठबंधन/एम एस ओ ने निम्नलिखित बिंदु सामने रखे :

- राज्य/क्षेत्र स्तर पर करों और उगाहियों की समग्र श्रृंखला को शामिल करने के लिए एस टी बी संबंधी सीमा शुल्क ड्यूटी में छूट के साथ-साथ एक उत्प्रेरक डिजिटल पर्यावरणीय प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता है।

- बेसिल को चार मेट्रो शहरों और बड़े शहरों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। छोटे नगरों और शहरों में प्रशिक्षण के लिए दूरदर्शन केंद्रों और इसके इंजीनियरों की सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है।

- प्रचार को मीडिया के पारंपरिक मंचों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि इसमें इंटरनेट, एस एम एस जैसे सामने आते नए मंचों को भी शामिल करना चाहिए और इसे मल्टीमीडिया अभिमुखी होना चाहिए।

- इसकी अवसंरचना संबंधी स्थिति को केवल कर से संबंधित छूट के प्रयोजन तक ही सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि इस उद्योग को लघु और मध्यम उद्योग का दर्जा दिए जाने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को लिखा जाना चाहिए जिससे कि यह छूट आधारित दरों पर वित्त प्राप्त कर सकेगा।

- "प्रशुल्क", "मस्ट कैरी" पहलुओं सहित विनियामक मुद्दों का सार्थक और वस्तुनिष्ठ तरीके से समाधान करना। मंत्रालय और ट्राई के बीच बातचीत होनी चाहिए।

- चूंकि सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए प्रचार अभियानों में अधिक विश्वसनीयता होती है और जनता द्वारा इन्हें व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है, इसलिए सरकार को तत्काल जन अभियान प्रारंभ करना चाहिए।

- जनता के बीच जागरूकता फैलाने के लिए वरीयत: जनवरी, 2012 के प्रथम सप्ताह में संदेश के माध्यम से एक विज्ञापन जारी किया जाना चाहिए।

- प्रसारणकर्ताओं द्वारा एम एस ओ पर लगाई गई प्रतिबंधात्मक शर्त, कि वे अपनी सेवाएं विनिर्दिष्ट क्षेत्रों से इतर विस्तारित नहीं करेंगे, डी ए एस के सुचारू कार्यान्वयन में सहायक नहीं होगी और इसलिए इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

6. सी ओ एफ आई के प्रतिनिधि ने निम्नलिखित बिंदु सामने रखे -

- वे डी ए एस पहल का स्वागत करते हैं।
- डी ए एस को सभी के लिए फायदे का सौदा बनाने के लिए अंतिम सेवा प्रदाताओं अर्थात एल सी ओ की चिंताओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। ग्राहक अक्सर प्रसारण और चित्र की गुणवत्ता के विषय में शिकायत करते हैं जिसका कारण मुख्यत: प्रसारणकर्ता से प्राप्त सिग्नलों की गुणवत्ता है।
- उनके दृष्टिकोणों पर भी विचार किया जाना चाहिए और मंत्रालय तथा ट्राई द्वारा उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
- एस टी बी मानकीकरण को शीघ्र ही विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए ताकि एल सी ओ किसी कठिनाई में न पड़ें।
- चूंकि छोटे शहरों में केवल कुछेक एम एस ओ ही होते हैं इसलिए एल सी ओ को सिग्नल उपलब्ध कराने के लिए प्रसार भारती द्वारा हेडएंड इन दि स्काई की स्थापना की जानी चाहिए।
- डी डी डायरेक्ट जो कि कोडबद्ध नहीं है, निशुल्क रूप से प्रसारण के लिए उपलब्ध है और इससे डी ए एस के अंतर्गत एल सी ओ को एक समान निष्पादन क्षेत्र नहीं मिलता है। इस मुद्दे पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।
- डी ए एस के पश्चात बड़े होटलों और संस्थाओं के मामले में क्या होगा।
- चेन्नई में अरासू केबल निशुल्क और कुछ भुगतान आधारित चैनल उपलब्ध करवा रहा है जिन पर किसी भी प्रकार के कर की वसूली नहीं की जाती है। इससे एल सी ओ अलाभ की स्थिति में आ जाते हैं। इस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।
- प्रसारणकर्ताओं के साथ किए गए करार को एल सी ओ के विरूद्ध उपयोग में लाया जाता है और इस मुद्दे का समाधान किए जाने की आवश्यकता है।
- एल सी ओ के पंजीकरण संबंधी तंत्र के पारदर्शी और तीव्र होने की आवश्यकता है।

7. ग्राहकों का प्रतिनिधित्व कर रहे एक सदस्य ने बढ़ रही प्रतिस्पर्धा और उसके परिणामस्वरूप ग्राहकों के लिए अंशदान दर में कमी होने की आशा व्यक्त की। उन्होंने उल्लेख किया कि वे ऐसी स्थिति को दर्शाने वाले प्रशुल्क आदेश के जारी होने के पश्चात ही उत्तर दे सकते हैं।

8. विभिन्न सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोणों का उत्तर देते हुए अपर सचिव ने नीचे दिए गए अनुसार उल्लेख किया :

- अगली पीढ़ी (एम पी ई जी 4) के मामले में एस टी बी का मानकीकरण चल रहा है।
- मंत्रालय हिस्साधारकों के बीच राजस्व के समान बंटवारे सहित ट्राई के साथ प्रशुल्क संबंधी मुद्दा उठाएगा।
- इस बात को ध्यान में रखते हुए कि डिजिटल परिवर्तन का कार्य समयबद्ध है और 4 मेट्रो शहरों में इसके लिए बहुत कम समय बचा है, क्रियाकलाप के प्रत्येक हिस्से के लिए समय-सीमा निर्धारित करनी होगी और उसका पालन करना होगा।
- चूंकि डी ए एस के सुचारू कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों की भूमिका महत्वपूर्ण है इसलिए उन्होंने शामिल मुद्दों और समय-सीमा को बेहतर ढंग से समझने के लिए राज्य सरकारों के नोडल अधिकारियों की बैठक में उपस्थिति के महत्व पर जोर दिया।
- ग्राहकों के लिए सेवा की गुणवत्ता की सुधार किए जाने के लिए सभी हिस्साधारकों द्वारा प्रभावी उपाय किए जाने की आवश्यकता है ताकि सेवाएं ग्राहकों की पूर्ण संतुष्टि के लिए त्वरित और प्रभावी हों।
- बेसिल केवल प्रशिक्षकों को ही प्रशिक्षित करेगा और हिस्साधारक शामिल अन्य तकनीकी कर्मचारियों को इन प्रशिक्षकों के माध्यम से प्रशिक्षित करवाने का कार्य देखेगा। चूंकि ग्राहक का हित सर्वोपरि होता है इसलिए एम एस ओ/ एल एस ओ उनकी शिकायतों को देखने के लिए केवल सुप्रशिक्षित, प्रमाणित तकनीकी कर्मचारियों को ही तैनात करेंगे।
- अंतर-प्रचालनीयता संबंधी मुद्दे पर ग्राहक और सेवा प्रदाता दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त रूप से ध्यान दिया जाना होगा।

9. किए गए विचार-विमर्शों के आधार पर निम्नलिखित निर्णय लिए गए :

(i) यह कार्यबल वरीयत: प्रत्येक 15 दिन पर बैठक करेगा। अगली बैठक 16 जनवरी, 2011 को आयोजित की जाएगी।

(ii) राज्यों द्वारा वरिष्ठ स्तर पर नोडल अधिकारी नामोद्दिष्ट किए जाएं जो कि वरीयत: सूचना विभाग के सचिव अथवा सूचना आयुक्त के स्तर के हों।

(iii) विशिष्ट कार्यों को करने के लिए नीचे दिए गए अनुसार छ: उपसमूहों का गठन किया जाता है :

1. समय-सीमा मैट्रिक्स (उप-समूह)

क्र. सं.	नाम	संगठन
1	श्री एस. एन. शर्मा	डी ई एन – एम एस ओ
2	श्री के. जयारामन	हैथवे केबल
3	श्रीमती रूप शर्मा	सी ओ एफ आई
4	श्री ए. मोहन	आई बी एफ

2. जन जागरूकता अभियान (उप-समूह)

क्र. सं.	नाम	संगठन
1	श्री नरेश चाहल	आई बी एफ
2	सुश्री एनी जोसेफ	एन बी ए
3	श्रीमती रूप शर्मा	सी ओ एफ आई
4	श्री एस. एन. शर्मा	डी ई एन – एम एस ओ
5	श्री अशोक मनसुखानी	एम एस ओ गठबंधन

3. केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम निर्माण (उप-समूह)

क्र. सं.	नाम	संगठन
1	श्री अशोक मनसुखानी	एम एस ओ गठबंधन
2	श्री एस. एन. शर्मा	डी ई एन – एम एस ओ
3	श्री जे. पी. नैथानी	बेसिल
4	श्रीमती रूप शर्मा	सी ओ एफ आई
5	श्री ए. मोहन	आई बी एफ

4. एस टी बी उपलब्धता (उप-समूह)

क्र. सं.	नाम	संगठन
1	श्री एस. एन. शर्मा	डी ई एन – एम एस ओ
2	श्री जे. पी. नैथानी	बेसिल
3	श्री के. जयारामन	हैथवे केबल
4	श्री एस. के. सिंह	वीडियोकॉन
5	श्री विकास मोहन	सी ई एम ए

5. प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण (उप-समूह)

क्र. सं.	नाम	संगठन
1	श्री अशोक मनसुखानी	एम एस ओ गठबंधन
2	श्री एस. एन. शर्मा	डी ई एन – एम एस ओ
3	श्री जे. पी. नैथानी	बेसिल
4	श्रीमती रूप शर्मा	सी ओ एफ आई

6. वित्तीय प्रोत्साहन

क्र. सं.	नाम	संगठन
1	श्री अशोक मनसुखानी	एम एस ओ गठबंधन
2	श्री एस. एन. शर्मा	डी ई एन – एम एस ओ
3	श्री के. जयारामन	हैथवे केबल
4	श्री ए. मोहन	आई बी एफ

उप-समूह आपस में बातचीत करेंगे और मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे तथा कार्यबल से किसी औपचारिक अनुरोध अथवा नोटिस की प्रतीक्षा किए बिना अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देंगे। अंतिम रूप दी गई सिफारिशों को कार्यबल के सामने रखा जाएगा। वे कार्यबल के अन्य सदस्यों के साथ ई-मेल के माध्यम से दृष्टिकोणों का आदान-प्रदान भी कर सकते हैं ताकि सभी पदाधिकारी इसमें शामिल और होने वाले घटनाक्रम से परिचित रहें तथा अपने सुझाव दें।

(iv) बी एस एन एल/एम टी एन एल के साथ अवसंरचना साझा करने के संबंध में उद्योग एक योजना तैयार करेगा और दूरसंचार विभाग के साथ इस मुद्दे को उठाने के लिए इसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

XXX

केबल नेटवर्क्स के डिजिटलाइजेशन संबंधी कार्यबल की 23.01.2012 को आयोजित तीसरी बैठक का कार्यवृत्त

29.12.2011 को आयोजित इस कार्यबल की पिछली बैठक में निर्णय किए गए कार्रवाई – बिंदुओं पर की गई प्रगति की समीक्षा करने के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क्स के डिजिटलाइजेशन संबंधी कार्यबल की तीसरी बैठक अपर सचिव, सूचना और प्रसारण की अध्यक्षता में 23.01.2012 को आयोजित की गई। इस बैठक में भाग लेने वालों की सूची संलग्न है।

2. इस बैठक की मुख्य कार्यसूची डिजिटलाइजेशन से जुड़े विभिन्न कार्यों संबंधी 6 उप-समूहों की सिफारिशों/रिपोर्टों पर विचार करना था। बैठक के दौरान निम्नलिखित बिंदु सामने आए :-

- अभी तक कोई भी उप-समूह अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप नहीं दे सका है।
- सेट टॉप बॉक्सों की उपलब्धता, केबल नियमों का निर्माण, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तथा समय-सीमा संबंधी उप-समूहों के मामले में संबंधित उप-समूहों के कुछ सदस्यों ने एक प्रारूप तैयार किया था किन्तु किसी निश्चित परिणाम पर पहुंचने के लिए उप-समूह के सदस्यों के बीच इस पर विचार-विमर्श नहीं किया जा सका।
- कार्यबल ने यह अनुभव किया कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि उप-समूहों के सदस्यों के बीच पारस्परिक परामर्श समन्वित ढंग से किए जाएं, उससे संबंधित सदस्यों के दृष्टिकोण और प्रति-दृष्टिकोण विधिवत समेकित किए जाएं तथा अंतिम रिपोर्ट समयबद्ध आधार पर तैयार की जाए, प्रत्येक उप-समूह के लिए एक संयोजक को नामित किया जाना अपेक्षित है।
- अपर सचिव ने स्पष्ट किया कि संयोजक की भूमिका केवल सदस्यों के दृष्टिकोणों में समन्वय करने और उन्हें समेकित करने तथा उसको मंत्रालय और कार्यबल को भेजने तक ही सीमित है। संयोजक उप-समूह के सदस्यों के बीच समान रूप से अवस्थित होगा और उसे अन्य सदस्यों की तुलना में वरिष्ठता अथवा अन्यथा किसी रूप में कोई विशेष स्थिति प्राप्त नहीं होगी।
- उप-समूह की रिपोर्ट को अंतिम रूप देते समय और उसे समेकित करते समय संयोजक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगा, सदस्यों की सहमतियों और असहमतियों को पर्याप्त रूप से व्यक्त करेगा ताकि सहमत मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई प्रारंभ की जा सके तथा असहमति के मुद्दों पर समाधान संबंधी कार्रवाई प्रारंभ की जा सके।
- यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक उप-समूह अपनी सिफारिशों/रिपोर्ट को 31 जनवरी, 2012 तक अंतिम रूप दे देगा और उसके पश्चात शीघ्र ही इसको मंत्रालय को भेज दिया जाएगा।

- उप-समूहों की सिफारिशों/रिपोर्ट को, जिस रूप में वे मंत्रालय में प्राप्त हुई हैं, उसी रूप में मंत्रालय द्वारा ई-मेल के माध्यम से कार्यबल के सभी सदस्यों को परिचालित कर दिया जाएगा ताकि सभी सदस्य कार्यबल की अगली बैठक से पहले अपनी टिप्पणियां, यदि कोई हों, प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहें।
- कार्यबल की अगली बैठक 6.2.2012 को आयोजित होगी।
- उपर्युक्त के आधार पर छह उप-समूहों में से प्रत्येक के संयोजकों का नीचे दिए गए अनुसार निर्णय किया गया :

क्र. सं.	**उप-समूह का नाम**	**संयोजक**	**अतिरिक्त सदस्य (पिछली बैठक में निर्णीत संघटन के अतिरिक्त)**
1	समय-सीमा मैट्रिक्स	श्री ए. मोहन, आई बी एफ	श्री रवि गुप्ता, स्वतंत्र एम एस ओ
2	जन जागरूकता अभियान	श्री नरेश चाहल, आई बी एफ	----
3	केबल टेलीविजन नेटवर्क्स नियम निर्माण	श्री अशोक मनसुखानी, एम एस ओ गठबंधन	सुश्री एनी जोसेफ, एन बी ए
4	एस टी बी उपलब्धता	श्री अतुल लाल, सी ई ए एम ए	श्री एस. के. सदानी, वैज्ञानिक, सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग तथा श्री रवि गुप्ता, स्वतंत्र एम एस ओ
5	प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण	श्री जे. पी. नैथानी, बेसिल	--
6	वित्तीय प्रोत्साहन	श्री के. जयारामन, एम एस ओ गठबंधन	श्री अतुल सराफ, स्वतंत्र एम एस ओ

- वित्तीय प्रोत्साहनों से संबंधित मुद्दों के संबंध में अपर सचिव, सूचना और प्रसारण ने सुझाव दिया कि पूर्वनिश्चित राजस्व संबंधी सोर्स्ड सांख्यिकीय आंकड़ों तथा वृद्धि उन्मुखी आधार पर कमी को पूरा करने के लिए राजस्व के संभावित सृजन से समर्थित वित्तीय प्रोत्साहनों के लिए विस्तृत मूल आधार/औचित्य सहित अपनी सिफारिशें करते समय उपसमूह को वित्तीय

प्रोत्साहनों के संबंध में सरकार के निर्णय के परिणाम संबंधी विभिन्न परिदृश्यों को भी ध्यान में रखना होगा और साथ ही यह भी सुझाया कि संभावित परिदृश्यों विशेषकर उपस्करों के आयात/स्थानीय खरीद को ध्यान में रखते हुए एक योजना तैयार की जा सकती है। अपर सचिव ने उल्लेख किया कि सर्वोत्तम परिदृश्य विकल्प के मूर्त रूप न ले सकने के मामले में होने वाले परिणामों के संबंधों में इस प्रकार का "काल बैक" विकल्प वांछनीय है। इससे निर्णय के किसी विकल्प के किसी विशिष्ट परिदृश्य के अनुसार कार्य न करने के मामले में उद्योग डिजिटलाइजेशन के रास्ते से इधर-उधर न भटक कर सही मार्ग पर अग्रसर होता जाएगा।

- केबल नियमावली के प्रारूप को वेबसाइट पर डालने संबंधी मुद्दा उठाया गया। इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया गया ओर यह निर्णय लिया गया कि उपसमूह के सदस्य आपस में मिलकर इस प्रयोजन के लिए कार्यपद्धति का निर्धारण करेंगे, तथापि, उपसमूह द्वारा उपलब्ध करवाए गए नियमावली के प्रारूप को मंत्रालय अथवा बेसिल की वेबसाइट पर नहीं डाला जाएगा।

- श्री अशोक मनसुखानी ने, जैसाकि उन्होंने पिछली बैठक में किया था, पुनः उद्योग की अवसंरचना स्थिति का मुद्दा उठाया ताकि उद्योग को छूट आधार पर वित्त उपलब्ध हो सके। उन्होंने अनुरोध किया कि इस मुद्दे को वित्तीय प्रोत्साहनों/कर छूटों से अलग करके देखा जाए और इसे पृथक रूप से उठाया जाए। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि फिक्की ने इस मामले में एक रिपोर्ट दी है। उन्होंने रिपोर्ट की एक प्रति मंत्रालय को भेजे जाने की सलाह दी।

- यह बात भी उठाई गई कि जहां एक ओर विभिन्न श्रेणियों के शहरों के लिए अलग-अलग फेजों के वास्ते समाप्ति की तारीखें निर्धारित की गई है, इसका यह अर्थ नहीं है कि बाद के फेजों में डिजिटलाइज किए जाने वाले शहरों को तैयारी संबंधी योजना में अभी से शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर चर्चा की गई और एम एस ओ गठबंधन, स्वतंत्र एम एस ओ तथा सी ओ एफ आई के प्रतिनिधियों ने उल्लेख किया कि अंतर्संम्पर्क करार तैयार करने के लिए प्रसारणकर्ताओं के सहयोग की आवश्यकता होगी ताकि डिजिटलाइजेशन संबंधी कार्य प्रारंभ किया जा सके।

- सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

XXX

केबल नेटवर्क्स के डिजिटलाइजेशन संबंधी कार्यबल की 06.02.2012 को आयोजित चौथी बैठक का कार्यवृत्त

इस कार्यबल की चौथी बैठक का आयोजन अपर सचिव, सूचना और प्रसारण की अध्यक्षता में 06.02.2012 को हुआ। कार्यसूची की मद छह उपसमूहों द्वारा डिजिटलाइजेशन के विभिन्न पहलुओं पर प्रस्तुतीकरण देने और उन पर चर्चा करने से संबंधित थी।

2. पहला प्रस्तुतीकरण सेट टॉप बॉक्सों की उपलब्धता संबंधी उपसमूह द्वारा किया गया। इसके प्रमुख बिंदु नीचे दिए गए अनुसार हैं :

- पहले फेज में लगभग 10 मिलियन बॉक्सों और दूसरे फेज में 100 मिलियन बाक्सों की आवश्यकता होगी।
- भारतीय विनिर्माता में प्रतिवर्ष 24 मिलियन बाक्स उत्पादित करने की क्षमता है और देश में छह प्रमुख विनिर्माता हैं।
- बहुत कम समय में ही नई क्षमता की वृद्धि की जा सकती है और आवश्यकता को पूरा करने में भारतीय विनिर्माताओं की क्षमता संबंधी कोई समस्या नहीं थी।
- सेट टॉप बॉक्सों के लिए एम पी ई जी 2 केबल/डी टी एच, एम पी ई जी 4 एसडी जैसे मानकीकरण और बी आई एस विनिर्देशन को तत्काल अधिसूचित किए जाने की आवश्यकता है।
- विनिर्माताओं के लिए दीर्घकालीन वित्तपोषण आवश्यकता से संबंधित मुद्दों और सी फार्म तथा वैट मुद्दे पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।
- स्थानीय विनिर्माण (उत्पादन) पर 5 प्रतिशत की ड्यूटी हानिकारक है क्योंकि यह चीन के विनिर्माताओं की तुलना में भारतीय विनिर्माताओं को अलाभकर स्थिति में पहुंचा देती है।

3. अगला प्रस्तुतीकरण समय-सीमा मैट्रिक्स संबंधी उपसमूह द्वारा दिया गया। इसकी प्रमुख बातें नीचे दिए गए अनुसार है :

- केबल नियमावली को 20 फरवरी, 2012 तक अधिसूचित किया जाना है।
- डी ए एस क्षेत्रों में प्रचालन के लिए एम एस ओ के मामले में आवेदनों के संसाधन को पूरा करने का कार्य 15.5.2012 को समाप्त हो सकता है।

- ट्राई द्वारा प्रशुल्क, अंतर्संम्पर्क और गुणवत्ता से संबंधित विनियमों को फरवरी, 2012 के अंत तक अधिसूचित किया जाना है।
- सीमा शुल्क तथा अन्य वित्तीय छूटें मार्च, 2012 के प्रथम सप्ताह तक पूरी कर ली जानी हैं।
- कार्यान्वयन प्रक्रिया की समीक्षा 7.6.2012 तक समाप्त कर ली जानी है ताकि आखिरी क्षणों में सामने आने वाली किसी समस्या पर ध्यान दिया जा सके।

4. इसके पश्चात जन जागरूकता अभियान संबंधी उपसमूह द्वारा प्रस्तुतीकरण दिया गया। इसमें निम्नलिखित बिंदु सामने आए :

- यह नोट किया गया कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रिंट मीडिया में पहला विज्ञापन 5.2.2012 को प्रचारित किया गया। सदस्यों ने इस कार्य की प्रशंसा की।
- आई बी एफ ने न केवल अपने सदस्य चैनलों पर प्रसारण के लिए बल्कि प्रिंट मीडिया में भी प्रकाशित किए जाने के लिए भी एक विज्ञापन माड्यूल तैयार किया है जिसे कि शीघ्र ही सामने लाया जाएगा।
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस प्रयोजन के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी से भी एक माडयूल चलाने का अनुरोध कर सकता है।
- जैसाकि इसके प्रतिनिधि ने बताया एन बी ए भी विज्ञापन तैयार करवाएगा और अपने सदस्य चैनलों पर उन्हें चलवाएगा।
- एम एस ओ और स्थानीय केबल आपरेटर्स भी इसी प्रकार के माडयूल अपने स्थानीय चैनलों पर चला सकते हैं।
- हिस्साधारकों को बेहतर तरीके से जागरूक करने के लिए सेमिनारों का आयोजन भी किया जा सकता है। मंत्रालय इस प्रयोजन के लिए फेज के अंतर्गत 4 राज्यों के मुख्य सचिवों को पहले ही पत्र लिख चुका है।

5. अगला प्रस्तुतीकरण केबल नियमावली संबंधी उपसमूह द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसमें निम्नलिखित बातें निकलकर सामने आईं :

- विशेषकर स्थानीय केबल आपरेटरों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ सदस्यों द्वारा यह मुद्दा सामने लाया गया कि प्रारूप की प्रति उनको अंतिम क्षणों में उपलब्ध करवाई गई और इसीलिए वे अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने में असमर्थ थे।

- अपर सचिव ने स्पष्ट किया कि यदि केबल नियमावली संबंधी उपसमूह द्वारा तैयार किए गए प्रारूप पर कार्यबल के किसी सदस्य को कुछ कहना है तो वे अगले दो दिन के भीतर अपनी टिप्पणियां संयुक्त सचिव (बी पी एंड एल) को भेज सकते हैं ताकि इस मामले में अंतिम निर्णय लेते समय मंत्रालय इन टिप्पणियों पर भी विचार कर सके।

6. इसके पश्चात प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण संबंधी उपसमूह ने अपना प्रस्तुतीकरण दिया।

7. वित्तीय प्रोत्साहनों से संबंधित मुद्दों के विषय में अपर सचिव द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि इस मामले संबंधी प्रस्ताव को सचिवों की समिति द्वारा विचार किए जाने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है और सचिवों की समिति द्वारा इस पर 10.02.2012 को विचार किया जाएगा।

8. इस बैठक के दौरान निम्नलिखित सामान्य बातें भी सामने आईं :

- अपर सचिव द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि उपसमूह की सिफारिशें सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा केवल विचार किए जाने के लिए थीं और ये सिफारिशें इस मामले में अंतिम निर्णय नहीं थीं। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि किसी भी समह को अपने मन में यह आशंका नहीं पनपने देनी चाहिए कि यदि ये सिफारिशें उनकी चिंताओं की द्योतक नहीं है फिर भी उसे मंत्रालय द्वारा "जैसी है जहां है" आधार पर अपना लिया जाएगा और उन्होंने इस बात पर बल दिया किया कि विशेषकर केबल नियमावली के संबंध में अंतिम दृष्टिकोण निर्धारित करते समय मंत्रालय केबल टेलीविजन उद्योग के समग्र आम हित में सभी हिस्साधारकों के लिए समान अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के वास्ते निष्पक्ष नियम तैयार करने का प्रयास करेगा।

- अपर सचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि जहां एक ओर हिस्साधारकों के बीच दृष्टिकोण संबंधी वैविध्य अपरिहार्य है, केबल टीवी उद्योग के व्यावसायिक माडल पर विचार करते हुए कार्यबल का प्रयास डी ए एस संबंधी कार्यपद्धतियों को इस प्रकार से निर्धारित करना था जिसमें कि उद्योग के समग्र हित और जनता के भले की बात ध्यान में रखी जाए। इसलिए, उन्होंने कार्यबल के सभी सदस्यों से उद्योग और जनता के समग्र लाभ के लिए उनके वैयक्तिक हितों में समाशोधन करने का अनुरोध किया।

- अपर सचिव ने यह भी उल्लेख किया कि कार्यबल के सदस्य बड़े-बड़े क्षेत्रों के प्रतिनिधि हैं और अपने-अपने क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते समय वे उस क्षेत्र संबंधी अपनी समझ के आधार पर अपने रूख को प्रस्तुत कर सकते हैं जिसका कि वे प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हें उस क्षेत्र के प्रत्येक सदस्य से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं है। अन्यथा कार्यबल में किसी प्रतिनिधि को शामिल करने का उद्देश्य निरर्थक हो जाएगा और उस स्थिति में सारी की सारी प्रक्रिया अनावश्यक रूप से लंबी होती जाएगी। इसलिए उन्होंने कार्यबल के सदस्यों से न केवल उनके क्षेत्र बल्कि इस उद्योग के हितों की भी सेवा करने के लिए अपने विवेक और निर्णय का उपयोग करने की सलाह दी।
- अपर सचिव ने इस बात पर भी बल दिया कि डिजिटलाइजेशन संबंधी निर्धारित समय-सीमाओं का कड़ाई के साथ पालन किया जाएगा और किसी को भी इस प्रकार की कोई सोच नहीं रखनी चाहिए कि अंतिम तारीखों में कोई विस्तार किए जाने की संभावना है। इस प्रकार सभी हिस्साधारकों को इस आधार वाक्य पर ही आगे बढ़ना चाहिए।
- अपर सचिव ने कार्यबल के सदस्यों से यह भी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि कार्यबल की बैठकों में केवल वे ही व्यक्ति आएंगे जो कि इस कार्यबल के नामित सदस्य हैं और वे अपने साथ किन्हीं व्यक्तियों को नहीं लाएंगे।

XXX

कार्यबल की अपर सचिव (सूचना और प्रसारण) के कक्ष में 5.3.2012 को पूर्वाह्न 3.30 बजे आयोजित पांचवीं बैठक का कार्यवृत्त

विचार-विमर्श प्रारंभ करते हुए संयुक्त सचिव (प्रसारण) ने कार्यबल की बैठकों के दौरान उठाए गए मुद्दों तथा उन पर हुई प्रगति के संबंध में एक संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण दिया तथा इससे संबंधित संक्षिप्त अद्यतन जानकारी दी। संक्षिप्त जानकारी में निम्नलिखित बिंदु शामिल थे :

- कार्यबल के सदस्यों को इस बात की जानकारी दी गई कि केबल नियमावली तैयार की जा रही है और शीघ्र ही विधीक्षा के लिए एक प्रतिपादित प्रारूप विधायी विभाग को भेजा जाएगा।
- प्रचार अभियानों में की गई प्रगति को भी सदस्यों के साथ साझा किया गया। यह स्पष्ट किया गया कि रेडियो जिंगल्स और टीवी स्पाटों को अगले सप्ताह की समाप्ति तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा और जागरूकता अभियान सार्वजनिक क्षेत्र में ले जाया जाएगा। यह अभियान पांच भाषाओं अर्थात हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, मराठी और बंगाली में योजनाबद्ध कर दिया गया है।
- इस समय एस टी बी पर बी आई एस प्रमाणन की मुहर अनिवार्य नहीं है और यह स्वरूपत: स्वैच्छिक प्रकार की है। तथापि, यह सुझाव दिया गया कि एस टी बी में विनिर्माता की ओर से एक स्वत: प्रमाणन होना चाहिए कि यह बी आई एस मानकों के अनुरूप है और इससे प्रयोजन की सिद्धि हो जाएगी। तथापि, ट्राई द्वारा इस मुद्दे की जांच करने की आवश्यकता है और यह सुझाव दिया गया कि इसे ट्राई द्वारा 13.3.2012 को आयोजित की जाने वाली ओपन-हाउस बैठक में उठाया जा सकता है। एस टी बी के संबंध में बी आई एस के संशोधित मानक 31.3.2012 तक सार्वजनिक कर दिए जाने की संभावना है।
- कार्यबल में एम एस ओ का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों ने एस टी बी की खरीद के लिए दिए गए आदेशों के संबंध में स्थिति की जानकारी मंत्रालय के साथ साझा की और उन्होंने बी आई एस मानकों के तत्काल अनुपालन के संबंध में कठिनाई व्यक्त की क्योंकि बी आई एस मानकों का अनुपालन करने के लिए परिवर्तन के वास्ते कुछ समय की आवश्यकता है लेकिन उद्योग इनके लिए बिल्कुल तैयार है।

श्री योगेन्द्र पाल, सलाहकार, पी एम यू का परिचय कार्यबल के सदस्यों से करवाया गया।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

XXX

केबल टेलीविजन नेटवर्क के डिजिटलाइजेशन संबंधी कार्यबल की 4.4.2012 को आयोजित छठी बैठक का कार्यवृत्त

चार मेट्रो शहरों में 30.06.2012 तक केबल टेलीविजन के डिजिटलाइजेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अब तक की गई प्रगति का जायजा लेने और भावी कार्यनीति संबंधी स्थिति की समीक्षा करने के लिए उपर्युक्त विषयक कार्यबल की छठी बैठक अपर सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अध्यक्षता में 4.4.2012 को आयोजित की गई। बैठक में भाग लेने वालों की सूची संलग्न है।

2. अपर सचिव द्वारा स्वागत भाषण दिए जाने के पश्चात संयुक्त सचिव (प्रसारण) ने अब तक निम्नलिखित क्षेत्रों में मंत्रालय द्वारा पूरे किए गए कार्यों के संबंध में एक प्रस्तुतीकरण दिया – जन जागरूकता; राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श; हिस्साधारकों के साथ विचार-विमर्श; एस टी बी की उपलब्धता और राष्ट्रीय स्तर के एम एस ओ से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित इसकी सीडिंग; मंत्रालय की टीम द्वारा दिल्ली की कुछ कालोनियों और एम एस ओ के भंडारों के अपने दौरों के समय किए गए आकलन तथा केबल नियमावली और एस टी बी के लिए बी आई एस मानकों संबंधी स्थिति के विषय में अद्यतन जानकारी। प्रस्तुतीकरण के दौरान निम्नलिखित मुख्य बातें सामने आईं :

- जहां एक ओर मंत्रालय द्वारा जन जागरूकता पर प्रिंट मीडिया संबंधी एक विज्ञापन पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है वहीं एन बी ए और आई बी एफ ने अभी तक कोई भी प्रिंट विज्ञापन नहीं प्रकाशित किया है और इसे शीघ्र ही किया जाना चाहिए।
- मंत्रालय ने जन जागरूकता के लिए रेडियो जिंगल्स भी तैयार किए हैं जो कि आकाशवाणी द्वारा पहले से ही प्रसारित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त 5 भाषाओं (अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, तमिल और बंगला) में दो टीवी स्पॉट भी तैयार किए जा चुके हैं और शीघ्र ही उन्हें दूरदर्शन के चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। इन टीवी स्पॉटों की सीडी सदस्य टीवी चैनलों पर चलाने के लिए एन बी ए और आई बी एफ को भेजी जा चुकी हैं।
- संयुक्त सचिव (प्रसारण) ने बताया कि व्यापक प्रचार के लिए निजी एफ एम चैनलों पर प्रसारित किए जाने के वास्ते रेडियो जिंगल्स को भी ए आर ओ आई को भेजा जा चुका है।
- चेन्नई में मामले में जहां कि इस समय कोई भी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, एस टी बी की उपलब्धता के संबंध में संयुक्त सचिव (प्रसारण) द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि इस विषय में चेन्नई स्थित दो केबल ऑपरेटरों नामतः अरासू और सुमंगली के साथ विचार-विमर्श किया गया है और शीघ्र ही आंकड़े उपलब्ध हो जाएंगे।

- एस टी बी की उपलब्धता और प्रमुख एम एस ओ के मामले में आदेशों की वर्तमान स्थिति का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि एस टी बी की वास्तविक सीडिंग के संबंध में आंकड़े वस्तुतः चिंताजनक हैं क्योंकि 16 से 23 मार्च 2012 के सप्ताह के दौरान केवल 36,000 एस टी बी ही लगाए गए। तेजी से पास आती समय-सीमा और लगाए जाने वाले एस टी बी की उल्लेखनीय संख्या को ध्यान में रखते हुए इसको और अधिक गति दिए जाने की आवश्यकता है। अपर सचिव ने उल्लेख किया कि इस स्थिति में एस टी बी की उपलब्धता के बावजूद यदि 30.6.2012 तक केबल वाले सभी घरों में एस टी बी संस्थापित नहीं किए गए तो एम एस ओ और एल सी ओ को ग्राहक का कोपभाजन बनना पड़ेगा क्योंकि एनालॉग सिग्नल बंद हो चुके होंगे और इसलिए तात्कालिकता की भावना के साथ इस कार्य को पूरा करना एल सी ओ और एम एस ओ के हित में होगा।
- उन्होंने यह भी बताया कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय की टीम द्वारा किए गए क्षेत्र दौरों से यह बात निकल कर सामने आई कि उपभोक्ताओं में जानकारी का स्तर बहुत कम था हालांकि एल सी ओ इन तथ्यों से सुपरिचित प्रतीत हो रहे थे। एम एस ओ द्वारा इस मुद्दे पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।
- संयुक्त सचिव (प्रसारण) ने जानकारी दी कि केबल नियमावली का प्रारूप तैयार कर लिया गया है और विधि मंत्रालय से इसकी विधीक्षा की प्रतीक्षा है।
- एस टी बी के मानकों के संबंध में बी आई एस ने उत्तर भेजा है। उन्होंने जानकारी दी है कि बी आई एस ने इस प्रयोजन के लिए आई एस 15245:2002 डिजिटल एस टी बी विनिर्देशन प्रकाशित किया है जिसकी कि 2010 में पुनः पुष्टि की गई।

3. बैठक में किए गए अनुवर्ती विचार-विमर्शों के आधार पर निम्नलिखित बातें निकल कर सामने आईं :

- एस टी बी की उपलब्धता और दिए गए आदेशों की वर्तमान स्थिति के संबंध में वास्तविक आपूर्ति अवधि पर भी ध्यान दिए जाने और एम एस ओ द्वारा तदनुसार कार्रवाई करने की आवश्यकता है ताकि अंतिम क्षणों में होने वाली बाधाओं से बचा जा सके।
- एम एस ओ अपने निजी चैनलों पर जन जागरूकता के संबंध में भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा तैयार की गई सामग्री को इस प्रयोजन के लिए उनके पास भेजा जाए।

- इस समय एम एस ओ तत्काल जन जागरूकता संबंधी कार्य प्रारंभ करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि प्रशुल्क इत्यादि संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों पर ट्राई के विनियमन की प्रतीक्षा है और विनियमन के सार्वजनिक हो जाने पर एम एस ओ को आधारिक नियमों, चैनलों के मूल्यों इत्यादि की जानकारी हो जाएगी और तब वे मार्केटिंग तथा जन जागरूकता संबंधी कार्यों में पूरी तरह से संलग्न हो सकेंगे।
- एस टी बी लगाने के कार्य की समीक्षा के लिए एक पृथक उप-समूह का गठन किया जाए।
- श्रीमती रूप शर्मा, सी ओ एफ आई ने बताया कि एस टी बी चुनने के संबंध में स्वतंत्र एम एस ओ को प्रसारणकर्ताओं के साथ समस्याओं का सामना कर पड़ रहा है क्योंकि प्रसारणकर्ता अक्सर इस आधार पर किसी विशेष प्रकार के एस टी बी के लिए आग्रह करते हैं कि अन्य एस टी बी में हैकिंग की संभावना होती है। उन्होंने तर्क दिया कि इस प्रकार की पूर्व शर्तें तथा अन्य प्रतिबंधात्मक तरकीबें छोटे एल सी ओ की व्यवसाय संबंधी इच्छा को बाधित करती हैं जो कि व्यवसाय में प्रगति की महत्वाकांक्षा और इच्छाशक्ति रखते हैं तथा एम एस ओ के स्तर तक पहुंचना चाहते हैं। इस मुद्दे पर प्रसारणकर्ताओं के प्रतिनिधि द्वारा यह बताया गया कि एस टी बी के लिए व्यापक विनिर्देश हैं और प्रसारणकर्ताओं द्वारा ऐसी कोई पूर्व शर्तें नहीं लगाई जाती हैं। अपर सचिव (सूचना और प्रसारण) ने सुश्री रूप शर्मा से कार्यबल की कार्यवाहियों के रूप में नहीं बल्कि अलग से प्रगति करने तथा एम एस ओ के रूप में व्यवसाय शुरू करने की इच्छा रखने वाले किसी एल सी ओ द्वारा वांछित निवेश के स्तर, बराबरी करने के लिए ग्राहकों की न्यूनतम आधार संख्या तथा बराबरी के लिए समय-सीमा संबंधी ब्यौरे उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया। सुश्री रूप शर्मा ऐसा करने के लिए सहमत हो गईं।
- बी एस आई द्वारा विनिर्दिष्ट बी आई एस मानकों के संबंध में एक एम एस ओ द्वारा यह मुद्दा उठाया गया कि एक बार इन विनिर्देशनों का अनुपालन करने वाले एस टी बी खरीद कर लगा दिए जाने के पश्चात ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस प्रक्रिया के बीच रास्ते में ही विनिर्देशनों को बदल दिया जाए जिससे कि उनके द्वारा किया गया सारे का सारा निवेश और प्रयास निष्फल हो जाएं। कार्यबल द्वारा इस मुद्दे की प्रशंसा की गई। यह नोट किया गया कि यदि बी आई एस द्वारा भविष्य में विनिर्देशनों का उन्नयन किया जाता है तो यह भावी

संस्थापनाओं पर ही लागू होगा तथा पहले से ही लगाए जा चुके विद्यमान विनिर्देशनों पर आधारित एस टी बी तब तक काम करना जारी रखेंगे जब तब कि उन्हें पूरी तरह से प्रतिस्थापित न कर दिया जाए।

- स्वदेशी विनिर्माताओं के प्रतिनिधि द्वारा यह मुद्दा उठाया गया कि यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि प्रसारण का एक डिजिटल माध्यम होने के बावजूद डी ए एस इस अवस्था में आंकड़ों को दो तरीकों से अंतरित नहीं करेगा जैसाकि ब्रॉडबैंड इंटरनेट के मामले में होता है। उन्होंने कहा कि उद्योग में इस बात को लेकर कुछ गलतफहमी है कि डी ए एस ब्रॉडबैंड इंटरनेट को सुविधा प्रदान करेगा। उन्होंने तर्क दिया कि इस बात की न तो कोई मंशा है और न ही विद्यमान विधिक फ्रेमवर्क में इसका कोई प्रावधान है और इस समय खरीदे जा रहे एस टी बी बहुतायत में ब्रॉडबैंड इंटरनेट के प्रति सहायक होंगे। उन्होंने तर्क दिया कि एक प्रौद्योगिकी के रूप में डी ए एस ब्रॉडबैंड इंटरनेट और द्विमार्गी आंकड़ा अंतरण करने में सक्षम है लेकिन अपेक्षित विधिक फ्रेमवर्क और विनियमों को बदलना होगा तथा ऐसा किए जाने तक डी ए एस का उपयोग केवल टीवी प्रसारणों के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि इस गलतफहमी को दूर नहीं किया गया तो यह उपभोक्ताओं में अनावश्यक अशांति पैदा करेगी और जिसके परिणामस्वरूप सभी हिस्साधारकों को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कार्यबल द्वारा इस बात की प्रशंसा की गई।

4. इसके पश्चात अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

XXX

केबल टेलीविजन नेटवर्क के क्षेत्र में डिजिटल संबोधनीय प्रणाली संबंधी कार्यबल की 16.04.2012 को आयोजित 7वीं बैठक का कार्यवृत्त

उपर्युक्त विषय संबंधी कार्यबल की 7वीं बैठक इस संबंध में अब तक की गई प्रगति की समीक्षा करने और भावी कार्रवाई पर विचार-विमर्श करने के लिए 16.04.2012 को अपर सचिव (सूचना और प्रसारण) की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में भाग लेने वालों की सूची संलग्न है।

2. बैठक में भाग लेने वालों का स्वागत करते हुए अपर सचिव (सूचना और प्रसारण) ने सदस्यों को सूचित किया कि केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) संशोधन अधिनियम, 2011 के अनुपालन में केबल नियमावली को विधि मंत्रालय की टिप्पणियों के आधार पर इस मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दे दिया है और विधीक्षा के लिए इसे 17.04.2012 तक विधि मंत्रालय को भेज दिया जाएगा।

3. इसके पश्चात संयुक्त सचिव (प्रसारण) ने कार्यबल की 04.04.2012 को हुई अंतिम बैठक के बाद से मंत्रालय द्वारा पूरे किए गए कार्यों के संबंध में संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत की। उन्होंने इस संबंध में निम्नलिखित बातें बताईं :-

- बेसिल द्वारा डी ए एस संबंधी डेडिकेटेड वेबसाइट (www.digitalindiamib.com) प्रारंभ कर दी गई है।
- जन जागरूकता संबंधी टीवी स्पॉट पहले से ही दूरदर्शन पर प्रसारित किए जा रहे हैं।
- मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए टीवी स्पॉट पहले ही एन बी ए और आई बी एफ को भेजे जा चुके हैं लेकिन अभी तक इनको निजी टीवी चैनलों द्वारा प्रसारित नहीं किया गया है। हालांकि आई बी एफ द्वारा तैयार किए गए टीवी स्पॉट निजी टीवी चैनलों पर प्रसारित किए जा रहे हैं तथापि, मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए टीवी स्पॉटों को इन चैनलों द्वारा चलाया जाना एक प्रशंसनीय कार्य होगा।
- चार मेट्रो शहरों में अपेक्षित कुल 104.9 लाख सेट टॉप बॉक्सों में से 16.03.2012 तक 20.32 लाख सेट टॉप बॉक्स पहले ही लगाए जा चुके हैं।
- 16 मार्च 2012 से लेकर 5 अप्रैल, 2012 तक की अवधि के दौरान 1,45,392 सेट टॉप बॉक्स पहले ही लगाए जा चुके हैं। इस प्रगति से विश्वास झलकता है।

- दिल्ली में केबल आपरेटरों की संख्या के संबंध में एम एस ओ द्वारा दिए गए आंकड़ों और इस मंत्रालय द्वारा सीधे तौर पर दिल्ली स्थित डाकखानों से प्राप्त किए गए आंकड़ों में कुछ गड़बड़ियां और असंगतियां पाई गईं। जहां एक ओर एम एस ओ द्वारा दिए गए आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि दिल्ली में 3,000 से अधिक केबल आपरेटर हैं वहीं दिल्ली के 10 में से 8 डाकखानों द्वारा दिए गए आंकड़ों से यह पता चलता है कि दिल्ली में कुल 1186 पंजीकृत केबल आपरेटर हैं। उन्होंने एम एस ओ से आंकड़ों में सुधार करने और मंत्रालय को सही आंकड़े उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया।

- उन्होंने बताया कि 4 मेट्रो शहरों के संबंध में मंत्रालय का प्रस्ताव एम एस ओ और एल सी ओ से सीधे आंकड़े एकत्र करने का है और इस प्रयोजन के लिए शीघ्र ही एक नोटिस प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी जिसके माध्यम से एम एस ओ/एल एस ओ को निर्धारित परिपत्र में ब्यौरे बेसिल को उपलब्ध करवाने की सलाह दी जाएगी।

- इस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर के सभी एम एस ओ से आयातित और स्वदेशी रूप से खरीदे गए दोनों प्रकार के सेट टॉप बॉक्सों के संबंध में गुणवत्ता मानकों के विषय में जानकारी उपलब्ध करवाने तथा ग्राहक शिकायत निपटान तंत्र स्थापित करने के संबंध में ई-मेल के माध्यम से पहले ही अनुरोध किया जा चुका है। यह जानकारी इस बैठक से पहले ही उपलब्ध करवाई जानी थी; तथापि, एम एस ओ से यह जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने अनुरोध किया कि यह जानकारी तत्काल प्रस्तुत की जाए।

4. एम एस ओ गठबंधन के प्रतिनिधि ने निम्नलिखित बिंदु प्रस्तुत किए :

- प्राधिकृत केबल आपरेटरों की सूची शीघ्र ही इस मंत्रालय को भेजी जानी चाहिए ताकि यदि इस संबंध में कोई विसंगति हो तो उसे दूर किया जा सके।

- सेट टॉप बॉक्सों संबंधी आंकड़े अलग-अलग एम एस ओ से भी प्राप्त किए जाएं।

- बेसिल द्वारा उनके द्वारा अब तक संचालित किए गए प्रशिक्षणों संबंधी आंकड़े उनकी वेबसाइट पर अपलोड किए जाएं।

- जहां एक ओर सेट टॉप बॉक्सों का लगाया जाना आवश्यक है वहीं इस बात को भी नोट किया जाना चाहिए कि संबंधित हेडएंड के साथ सेट टॉप बॉक्सों को ट्यून करने और नेटवर्क प्रचालन के स्थिरीकरण के लिए भी पर्याप्त समय की आवश्यकता है ताकि 30.06.2012 के पश्चात डिजिटल क्षेत्र में आसानी के साथ परिवर्तन किया जा सके। इस प्रकार एस टी बी को लगाने के प्रयोजन के संबंध में इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

5. सी ओ एफ आई के प्रतिनिधि सुश्री रूप शर्मा ने निम्नलिखित बिंदु सामने रखे :

- रेडियो जिंगल्स और टीवी स्पॉटों में ग्राहकों द्वारा किए जाने वाले भुगतान का ब्यौरा भी होना चाहिए।

  अपर सचिव द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि ट्राई विनियमों के एक बार सार्वजनिक हो जाने के पश्चात ही इस बिंदु पर ध्यान दिया जा सकता है।

- जनता को यह भी बताए जाने की आवश्यकता है कि क्या सेट टॉप बॉक्स नि:शुल्क दिए जाएंगे अथवा नहीं।

  यह स्पष्ट किया गया कि सरकार का प्रस्ताव नि:शुल्क एस टी बी उपलब्ध करवाने का नहीं है। वस्तुत: ये सरकार द्वारा नहीं बल्कि एम एस ओ द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे।

- कुछ आपरेटरों द्वारा परियोजना आयात संबंधी प्रस्ताव मंत्रालय में लंबित हैं और इस पर शीघ्रता से कार्य किए जाने की आवश्यकता है ताकि आपरेटर समय-सीमा का पालन कर सकें।

  अपर सचिव और संयुक्त सचिव (प्रसारण) द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि इस बात की जांच की जाएगी।

- सुश्री रूप शर्मा ने कहा कि एक ऐसा विनियम है जिसके अनुसार किसी केबल आपरेटर को किसी आवासीय क्षेत्र में 20 वर्गमीटर के स्थान से प्रचालन करना है लेकिन डी ए एस के लिए केबल आपरेटरों को डी ए एस की बड़ी कैरिएज मांगों को पूरा करने के लिए स्थान को बढ़ाने की आवश्यकता होगी। उन्होंने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि सरकार किसी केबल आपरेटर को बड़ी दुकान स्थापित करने के लिए कैसे बाध्य कर सकती है जबकि वह केबल आपरेटर अपनी क्षमता के अनुसार किसी दुकान से व्यवहार्य व्यवसाय पहले से ही कर रहा है।

  अपर सचिव द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि इस बात की जांच विद्यमान विधिक स्थिति और ट्राई के विनियमन के अनुसार की जाएगी।

- उन्होंने कहा कि उनके द्वारा पिछले बैठक में एक या बिंदु उठाया गया था कि प्रसारणकर्ता आपरेटरों को विषय-वस्तु उपलब्ध करवाने के इच्छुक नहीं थे और इस मुद्दे पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

  अपर सचिव ने स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर ट्राई के अंतर्संबद्ध विनियमों के आधार पर ध्यान दिया जाएगा।

6. सी ई ए एम ए के प्रतिनिधि ने निम्नलिखित बिंदु सामने रखे :

- वर्तमान में एस टी बी के मामले में बी आई एस मानकों का अनुपालन अनिवार्य नहीं है बल्कि पूर्णत: स्वैच्छिक है और कोई भी सरकारी एजेंसी इसका अनुपालन करवाने के लिए अधिकार प्राप्त नहीं है। डी ए एस के अगले फेजों में जब भारत के अंदरूनी प्रदेशों में रहने वाले सीधे-सादे ग्राहकों को शामिल किया जाएगा तब यह मुद्दा गंभीर समस्या का रूप धारण कर लेगा क्योंकि वे लोग इन विनिर्देशनों से परिचित नहीं होंगे। इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और उस स्थिति में डी ए एस के मार्ग में बीच में ही कोई अनुपालन तंत्र स्थापित करना कठिन होगा। उन्होंने कहा कि इसी समय से एक कड़ी अनुपालन व्यवस्था स्थापित किए जाने की आवश्यकता है।

  अपर सचिव ने स्पष्ट किया कि सभी एम एस ओ से पहले ही उनके द्वारा अनुसरित किए जा रहे गुणवत्ता मानकों और ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र का उल्लेख करने को कहा जा चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि ट्राई के विनियम गुणवत्ता और सेवा संबंधी मुद्दों को भी कवर करेंगे तथा केबल नियमों में भी इस बात का प्रावधान होगा कि केवल अनुमोदित विनिर्देशनों वाले एस टी बी ही ही लगाए जाएं।

- स्थानीय वैट को ध्यान में रखते हुए स्वदेशी विनिर्माता आयातित एस टी बी की तुलना में अलाभ की स्थिति में हैं। उन्होंने कहा कि डी टी एच आपरेटर और एम एस ओ केवल उपलब्ध करवाई गई विषय-वस्तु पर ही सेवा कर का भुगतान करते हैं और सेट टॉप बॉक्सों के उपयोग पर कोई भुगतान नहीं करते जो कि संस्थापना प्रभार के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और इसलिए फार्म 'सी' जारी नहीं किया जाता है। इस कारण से वैट की लागत एस टी बी विनिर्माताओं पर आ जाती है और इसके परिणामस्वरूप स्थानीय रूप से विनिर्मित एस टी बी की कीमत बढ़ जाती है। उन्होंने अनुरोध किया कि फार्म 'सी' जारी किया जाना चाहिए।

  डी टी एच आपरेटरों के प्रतिनिधि ने स्पष्ट किया कि वे वास्तव में फार्म 'सी' उपलब्ध करवा रहे हैं।

7. एन बी ए के प्रतिनिधि ने कहा कि पिछली बैठक में एक यह बिंदु उठाया गया था कि क्या एस टी बी, डी ए एस के कारण उपलब्ध चैनलों की बड़ी संख्या को वहन कर सकने में सक्षम होंगे, लेकिन पिछली बैठक के कार्यवृत्त में इस बिंदु को शामिल नहीं किया गया।

यह नोट किया गया कि चैनल वहन करने की क्षमता एस टी बी से संबंधित कोई मुद्दा नहीं है बल्कि यह हेडएंड से संबंधित है और इसलिए एस टी बी में उतने ही चैनल होंगे जितने कि संबंधित हेडएंड द्वारा वहन किए जा रहे होंगे।

8. ग्राहक मंच के प्रतिनिधि ने उल्लेख किया कि कुछ आवासीय परिसरों में सुरक्षा के प्रयोजन से लगाए गए क्लोज सर्किट टीवी कैमरा की फुटेज केबल के माध्यम से दिखाई जाती हैं। उन्होंने जानना चाहा कि क्या यह सुविधा डी ए एस में भी उपलब्ध होगी अथवा इससे किसी विद्यमान स्थानीय प्रावधान का उल्लंघन होगा।

यह स्पष्ट किया गया कि इस बिंदु पर विद्यमान विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा।

9. ग्राहक मंच के प्रतिनिधि ने उल्लेख किया कि पिछली बैठक में उन्होंने एक यह बिंदु उठाया था कि डी ए एस विधान में यह अनिवार्य किया गया है कि प्रत्येक ग्राहकों को टीवी देखने के लिए एक एस आर बी की आवश्यकता होगी और इससे लागत बढ़ेगी। इसलिए ग्राहक को इस मामले में सुविचारित निर्णय करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह बिंदु पिछली बैठक में शामिल नहीं किया गया था।

यह स्पष्ट किया गया कि केवल इसी प्रयोजन के लिए जन जागरूकता अभियान प्रारंभ किया गया है और ट्राई विनियमों के सार्वजनिक हो जाने के पश्चात अंशदान दरों का ब्यौरा भी सर्वविदित हो जाएगा और इसके अतिरिक्त एम एस ओ ने एस टी बी की उपलब्धता संबंधी स्कीमों पर मार्केटिंग संबंधी कार्य पहले ही प्रारंभ कर दिए हैं।

10. अंत में संयुक्त सचिव (प्रसारण) ने निम्नलिखित बिंदु प्रस्तुत किए :

- अगली बैठक में और उसके बाद से सभी हिस्साधारकों को उनके स्तर पर की गई प्रगति के विषय में भी बताना होगा और यदि उनके पास कोई सुझाव हों तो उन्हें पहले से ही मंत्रालय के पास भेजना होगा।

- एस टी बी की खरीद के लिए सी ई ए एम ए, एम एस ओ से प्राप्त आदेशों के संबंध में ब्यौरा उपलब्ध करवा सकता है।
- यदि एल सी ओ द्वारा कोई जागरूकता अभियान प्रारंभ किया गया है तो इसकी भी जानकारी दी जानी चाहिए।
- बेसिल, प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या के ब्यौरे का उल्लेख कर सकता है।

11. इसके पश्चात बैठक में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

XXX

केबल टेलीविजन नेटवर्क के डिजिटलाइजेशन संबंधी कार्यबल की 01.05.2012 को आयोजित 8वीं बैठक का कार्यवृत्त

केबल टेलीविजन नेटवर्क के क्षेत्र में डिजिटल संबोधनीय प्रणाली के कार्यान्वयन के संबंध में इस कार्यबल की 8वीं बैठक 01.05.2012 को अपर सचिव, सूचना और प्रसारण की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उपस्थिति पत्रक के अनुसार इस बैठक में भाग लेने वालों की सूची संलग्न है।

2. अपर सचिव (सूचना और प्रसारण) द्वारा स्वागत भाषण दिए जाने के बाद मंत्रालय द्वारा एम एस ओ, एल सी ओ और ग्राहकों के दृष्टिकोण से 28.04.2012 को अधिसूचित केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) विनियम, 2012 में विहित मुख्य मुद्दों पर मंत्रालय द्वारा एक संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण दिया गया। प्रकाश में लाए गए मुख्य बिंदु नीचे दिए गए अनुसार हैं।

3. इसके पश्चात अन्य हिस्साधारकों से उनके अपने दृष्टिकोण से स्थिति को सामने लाने का अनुरोध किया गया। इस संबंध में सामने निकल कर आने वाले मुख्य बिंदु नीचे दिए गए अनुसार हैं :-

- एम एस ओ के प्रतिनिधि ने बताया कि उनके द्वारा तैयार किया गया कार्यक्रम सही रास्ते पर है और उन्हें इस बात का पूरा विश्वास है कि वे डिजिटल संबोधनीय प्रणाली के लिए निर्धारित तारीखों का पालन कर सकेंगे।

- एम एस ओ के प्रतिनिधि द्वारा यह मुद्दा उठाया गया कि नए नियमों में शब्द "एम एस ओ" की परिभाषा के अनुसार मल्टी सिस्टम आपरेटर (एम एस ओ) के कार्य क्षेत्र को डिजिटल संबोधनीय प्रणाली (डी ए एस) के उद्देश्य से एक अधिसूचित क्षेत्र के भीतर सीमित कर दिया गया है, जब कि ऐसे सभी क्षेत्रों में जहां कार्यान्वयन की तारीख अभी दूर है वहां उनका अस्तित्व अब समाप्त हो जाएगा क्योंकि नए नियमों में एम एस ओ के लिए ऐसे क्षेत्रों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है जहां एनालॉग केबल अभी भी प्रचालन में हो।

अपर सचिव (सूचना और प्रसारण) द्वारा एक प्रश्न पूछे जाने पर एम एस ओ के प्रतिनिधि द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि सी ए एस प्रणाली के कार्यान्वयन से पहले एम एस ओ को किसी डाकखाने में अपने आप को एक केबल आपरेटर के रूप में पंजीकृत करवाने का अनुरोध किया जाता था और गैर-सी ए एस क्षेत्रों में यह प्रणाली अभी भी कार्य कर रही है। तथापि, चूंकि नए नियम एम एस ओ को केवल डी ए एस के दृष्टिकोण से परिभाषित करते हैं इसलिए गैर सी ए एस क्षेत्रों में विद्यमान एम एस ओ की स्थिति पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

यह निर्णय लिया गया कि इस बिंदु पर अलग से विचार किया जाएगा।

4. प्रसारणकर्ताओं के प्रतिनिधि ने कहा कि प्रसारणकर्ताओं को नए केबल नियमों से कोई शिकायत नहीं है और वे अभी भी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा 30.04.2012 को प्रकाशित विनियमन का अध्ययन कर रहे हैं।

5. तथापि, प्रसारणकर्ताओं के प्रतिनिधि ने उल्लेख किया चूंकि प्रसारणकर्ताओं तथा अन्य हिस्साधारकों को उनके बीच परस्पर करार करने के लिए प्रत्येक को एक महीने का समय दिया गया है इसलिए किसी एम एस ओ द्वारा पंजीकरण की मांग करने के समय उल्लिखित की जाने वाली करार की आवश्यकता अथवा ब्यौरे डिजिटल संबोधनीयता प्रणाली (डी ए एस) के लिए निर्धारित समयबद्धता के उद्देश्य के संबंध में कठिनाई उत्पन्न कर सकते हैं

6. अपर सचिव (सूचना और प्रसारण) ने स्पष्ट किया कि यह एक ऐसी स्थिति है कि अस्थायी पंजीकरण के प्रावधान को केबल नियमों में शामिल किया गया है। अपर सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि अस्थायी पंजीकरण को आधारिक अपेक्षाओं के न होने पर भी पंजीकरण को सुकर बनाने संबंधी किसी साधन के रूप में अंतर्प्रचालित नहीं किया जाना है, लेकिन इसका सहारा केवल उन मामलों में ही लिया जाएगा जहां सुरक्षा स्वीकृति की समयोचित उपलब्धता अथवा अंतर्संबद्ध करारों जैसी कुछ निश्चित स्थितियां आवेदक के नियंत्रण के बाहर होती हैं।

7. सी ओ एफ आई के प्रतिनिधि ने इस मुद्दे को उठाया कि मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों (एम एस ओ) के मामले में फीस को मौजूदा 10,000 रुपए से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए करने से छोटे स्वतंत्र एम एस ओ कठिनाई में आ जाएंगे और ऐसे छोटे स्वतंत्र एम एस ओ को राष्ट्रीय स्तर के बड़े एम एस ओ के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए जो कि आसानी से इस बढ़े हुए शुल्क को वहन कर सकते हैं।

8. सी ई ए एम ए के प्रतिनिधि ने भारतीय विनिर्माताओं की वांछित एस टी बी के विनिर्माण और उन्हें एम एस ओ को आपूर्ति करने की क्षमता संबंधी मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा जबकि पहले फेज के मामलों में एस टी बी की अपेक्षित संख्या में खरीद संबंधी कार्रवाई को आयात के माध्यम से किए जाने के कार्य को मुख्यत: पूरा किया जा चुका है, अगले फेज के मामले में भारतीय विनिर्माता एस टी बी की आपूर्ति करने की स्थिति में होंगे।

9. अपर सचिव ने सी ई ए एम ए के प्रतिनिधि से यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया कि क्या किसी भारतीय विनिर्माता ने प्रमुखत: भारतीय प्रौद्योगिकी के साथ एस टी बी की डिजाइन करने और उनका विनिर्माण करने तथा सेवा प्रदाता को वास्तविक आपूर्ति करने में सक्षम होने के लिए आंतरिक अनुसंधान और विकास का कार्य किया है। सी ई ए एम ए के प्रतिनिधि ने कहा कि वह यह जानकारी अलग से उपलब्ध करवाएगा।

10. ग्राहक मंच के प्रतिनिधि ने केबल नियमों में एस टी बी को जमा करने और अंतरण वाउचर जारी करने संबंधी प्रावधान की प्रशंसा की। उन्होंने यह जानना चाहा कि क्या ग्राहक के पास सेवा प्रदाता को बदलने का विकल्प होगा। यह स्पष्ट किया गया कि नियमों में स्पष्ट रूप से इस बात का प्रावधान किया गया है कि यदि ग्राहक किसी सेवा प्रदाता द्वारा दी जा रही सेवाओं से संतुष्ट नहीं है तो वह उसे छोड़ने और एस टी बी जमा करने के लिए स्वतंत्र होगा। उस मामले में एम एस ओ वे मानक कटौतियां कर लेगा जिनकी जानकारी ग्राहक को पहले ही दी जा चुकी है।

XXX

डिजिटल संबोधनीय केबल टेलीविजन प्रणाली के कार्यान्वयन संबंधी कार्यबल की 18.05.2012 को आयोजित 9वीं बैठक का कार्यवृत्त

डिजिटल संबोधनीय केबल टेलीविजन प्रणाली के कार्यान्वयन संबंधी कार्यबल की 9वीं बैठक अपर सचिव (प्रसारण) की अध्यक्षता में 18.05.2012 को आयोजित की गई।

2. बैठक में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष ने उनसे अपने-अपने मुद्दे सामने रखने को कहा। बैठक में निम्नलिखित मुख्य मुद्दे सामने आए :

i. एम एस ओ गठबंधन के प्रतिनिधि द्वारा उठाए गए मुद्दे :

क. **ट्राई द्वारा जारी किए गए विनियमों में दोहरी शर्त उपयुक्त नहीं है :** ट्राई से इस मामले की जांच करने को कहा गया है।

ख. **अस्थायी अवधि के लिए लाइसेंस :** एम एस ओ ने 2006 में लाइसेंस प्राप्त किया था जो कि 2016 तक वैध था लेकिन यह पता चला है यह लाइसेंस क्षेत्र विशेष के लिए था तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के एक प्रतिनिधि ने उनसे अन्य क्षेत्रों के संबंध में नए लाइसेंस के लिए आवेदन करने को कहा है।

अध्यक्ष ने मंत्रालय को एक पत्र भेजने के लिए कहा जिसकी कि जांच की जाएगी।

ग. **मस्ट कैरी :** यह सीमा क्या होगी? ट्राई से इस संबंध में जांच करने का अनुरोध किया गया है।

घ. 500 चैनलों के लिए ए-ला-कार्ट प्रावधान : तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं है। ट्राई से इस मामले की भी जांच करने का अनुरोध किया गया है। डी टी एच आपरेटरों तथा प्रसारणकर्ताओं के प्रतिनिधियों द्वारा यह कहते हुए इस बात का समर्थन किया गया कि नियंत्रण के लिए अपेक्षित बड़ी बैंडविड्थ को ध्यान में रखते हुए इससें सेवा की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ेगा।

ii. डी टी एच आपरेटरों के प्रतिनिधियों ने उल्लेख किया कि ट्राई द्वारा जारी किए गए प्रशुल्क विनियम में बुके की औसत लागत की तीन गुना राशि का प्रावधान भी व्यवहार्य नहीं है तथा ट्राई से इस मुद्दे की जांच करने का अनुरोध किया गया है।

iii. सी ओ एफ आई के प्रतिनिधि ने अनेक मुद्दों को इंगित करते हुए एक पत्र प्रस्तुत किया। अध्यक्ष ने इन मुद्दों की जांच करवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख मुद्दे उठाए :

क. एम एस ओ द्वारा ग्राहकों को दिए जा रहे एस टी बी का बिल एक्टिवेशन प्रभार के रूप में दिया जा रहा है। इस संबंध में कोई रसीद भी नहीं दी जा रही है। इस प्रकार कर के मामले में क्या होगा?

ख. माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने आश्वासन दिया था कि ग्राहकों को डिजिटल केबल टीवी प्रणाली के माध्यम से मूल्य वर्धित सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।

अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि इस समय मुख्यत: वनीला एस टी बी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं जो कि वन-वे हैं।

ग. एम एस ओ द्वारा ग्राहक शिकायत निवारण प्रणाली को अभी तक प्रचालित नहीं किया गया है।

अध्यक्ष ने 14 मई, 2012 को जारी ट्राई विनियम के अनुसार इसका प्रावधान करने को कहा है।

घ. एल सी ओ को एम एस ओ से एस टी बी प्राप्त नहीं हो रहे हैं।

अध्यक्ष ने बताया कि मंत्रालय की जानकारी में आ जाने के कारण इस पर पहले ही ध्यान दिया जा चुका है।

ड. बी एस टी के 45 प्रतिशत का प्रावधान एल सी ओ के लिए व्यवहार्य नहीं है।

अध्यक्ष ने कहा कि इस मुद्दे को ट्राई के साथ उठाया जाए।

च. चार मेट्रो शहरों में डिजिटाइजेशन की तारीख से 45 दिनों की शेष अवधि लक्ष्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

अध्यक्ष ने कहा कि लक्ष्य को पूरा करने संबंधी हमारे प्रयास जारी रहने चाहिए।

एम एस ओ गठबंधन के प्रतिनिधि ने बताया कि फेज-I शहरों में सी ए एस पहले से ही प्रचालन में है। यहां कॉल सेंटर भी प्रचालन में हैं। ट्राई के नवीनतम विनियमों के अनुसार नोडल अधिकारियों के नाम शीघ्र ही घोषित किए जाएंगे।

iv. डी टी एच आपरेटरों के प्रतिनिधि ने मंत्रालय से सशर्त पहुंच प्रशुल्क के संबंध में अंतिम तारीख निर्धारित करने के लिए ट्राई को एक पत्र जारी करने का अनुरोध किया।

अध्यक्ष ने इसे जारी करवाने का आश्वासन दिया।

v. सी ई ए एम एस के प्रतिनिधि ने बताया कि माय बॉक्स टेक्नीलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड को केबल टीवी प्रणाली के लिए भारत में विनिर्मित किए जा रहे एस टी बी की आपूर्ति के लिए आई एम सी एल और डब्ल्यू डब्ल्यू आई एल से आदेश प्राप्त हुए हैं। उन्होंने आगे बताया कि फेज-II की आवश्यकताओं के संबंध में केबल प्रणाली के लिए वीडियोकॉन भी एस टी बी के विनिर्माण का कार्य प्रारंभ करेगा।

अध्यक्ष ने एम एस ओ और सी ई ए एम ए को विभिन्न हिस्साधारकों के लिए एस टी बी के स्थानीय उत्पादन केंद्रों के दौरों की व्यवस्था करने की सलाह दी।

3. चर्चा को समाप्त करते हुए अध्यक्ष

i. ट्राई को लिखे गए सभी पत्रों, यदि कोई हों, की भी प्रतियां संदर्भ के लिए मंत्रालय को पृष्ठांकित की जाएं।

ii. एन बी ए और आई बी एफ को डी ए एस के अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए सार्वजनिक रूचि वाले कार्यक्रम तैयार करने चाहिए।

4. यह निर्णय लिया गया कि अगली बैठक 1 जून, 2012 को 15.30 बजे आयोजित की जाएगी।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन सहित बैठक संपन्न हुई।

XXX